	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 01, गुरूवार, *शाके* 1946-मार्च 21, 2024 *Chaitra 01, Thursday , Saka 1946- March 21 , 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 15, 2024

एस.ओ.581 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 2(4)वित्त/कर/2019-71 दिनांक 01.03.2024 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सं. एफ. 2(4)वित्त/कर/2019-71

राज्यपाल के आदेश से,

जसवंत सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, मार्च 01, 2024

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प. 4(17)वित्त/कर/2019-28 दिनांक 10.07.2019 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये पहचान-पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''संबंधित कल्याण अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पहचान-पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

सं. एफ.2(4)वित्त/कर/2019-71

राज्यपाल के आदेश से,

नम्रता वृष्णि,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.